जनपद बाराबंकी

प्रेसनोट सं0-25, **दिनांक-31.07.2025**

स्वाट/सर्विलांस व थाना मसौली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा महिला आरक्षी विमलेश पाल हत्याकाण्ड का किया गया सफल अनावरण, हत्याभियुक्त/पति को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद लोहे की रॉड,मृतका का पर्स व घटना में प्रयुक्त वैगनार बरामद-

दिनांक 30.07.2025 को थाना मसौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिन्दौरा के पास महिला आरक्षी विमलेश पाल का शव खेत में मिला था। पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। मृतका की बहन वादिनी पूजा पाल पुत्री स्व0 रामभरतपाल निवासिनी ग्राम अहरौली भभोट थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 319/2025 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस बनाम इन्द्रेश मौर्या निवासी सुल्तानपुर पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र, श्री प्रवीण कुमार व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य संकलन एवं घटना के सफल अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में स्वाट/सर्विलांस व थाना मसौली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेंस एवं डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए नामजद हत्याभियुक्त/पति इंद्रेश मौर्या पुत्र दान बहादुर मौर्या निवासी ग्राम प्राणनाथपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर को आज दिनांक- 31.07.2025 को भयारा रोड, प्लाई वुड फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशांदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 01अदद लोहे की रॉड, मृतका का पर्स व घटना में प्रयुक्त एक अदद वैगनार कार संख्या UP 32 CC 8480 बरामद किया गया।

पूछताछ एवं जांच से प्रकाश में आया कि अभियुक्त की मृतका से दोस्ती वर्ष 2017 में हुई थी जिससे दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गयी जिसके बाद मृतका द्वारा अभियुक्त से शादी करने का प्रस्ताव रखा गया लेकिन अभियुक्त द्वारा शादी से इन्कार कर दिया गया इसके पश्चात मृतका द्वारा आत्महत्या करने का दबाव बनाया जाने लगा, इसी बीच अभियुक्त की दूसरी जगह शादी तय हो गयी थी जिस पर मृतका की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 142/24 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत होने पर अभियुक्त द्वारा मृतका से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली गयी। शादी होने के पश्चात मु0अ0सं0 142/24 धारा 376/506 भादवि में धारा 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर दिनांक 15.03.2024 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी।

इसके पश्चात अभियुक्त उसको अपने साथ पत्नी की तरह रखने से इंकार कर दिया गया। अभियुक्त मृतका से पीछा छुड़ाने के लिये उसकी हत्या की योजना बनाने लगा। अभियुक्त मृतका से बीच-बीच में मिलने हेतु बाराबंकी भी आता रहता था। अभियुक्त द्वारा मृतका से पैसे का लेन देन भी किया गया तथा मृतका के अकाउंट पर बैंक लोन कराकर जिसके पैसे भी ले लिए गए थे जिसको लेकर भी विवाद व कहासुनी होती थी। अभियुक्त द्वारा मृतका से बातचीत के क्रम में उसकी ड्यूटी व आने जाने के समय के बारे में भी जानकारी कर ली गई थी। दिनांक 27.07.2025 को अभियुक्त समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने आया था शाम करीब 07.00 बजे दोनों के मध्य पुनः किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई जिससे अभियुक्त द्वारा लखनऊ स्थित अपने मामा के घर से वैगनार कार संख्या UP 32 CC 8480 लेकर व अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया। अभियुक्त अपनी कार से टेढ़ी पुलिया से कुर्सी,देवा होते हुए ग्राम भयारा थाना मसौली जनपद बाराबंकी पहुंचा। अभियुक्त को पूर्व से ही मृतका की ड्यूटी व आने जाने का समय पता था उसी समय के अनुसार अभियुक्त ग्राम भयारा थाना मसौली जनपद बाराबंकी में मृतका के आने का इंतजार करने लगा, मृतका के काफी समय के बाद न आने पर अभियुक्त रामनगर की ओर बढ़ा तभी दूसरी तरफ से मृतका आती हुई दिखी, अभियुक्त द्वारा मृतका को बिन्दौरा पुल के पास रोककर 05-10 मिनट बातचीत की गयी। इसी दौरान मृतका ने अभियुक्त से लघुशंका की बात कही और खेत की ओर चली गयी तभी अभियुक्त

द्वारा मौका देखकर पीछे से सिर पर लोहे की राड मारकर हत्या कर दी गयी। हत्या करने के बाद अभियुक्त रानीगंज तिराहा से त्रिलोकपुर, फतेहपुर, बड्डूपुर,कुर्सी होते हुए पुनः रात्रि करीब 01.00 अपने मामा के घर लखनऊ चला गया। रात्रि में ही अपने मामा के घर से पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए अपने घर जनपद सुल्तानपुर चला गया। अभियुक्त ने बताया की मुझ पर हत्या का शक न हो इसलिये मृतका को कई बार फोन किया। इसके पश्चात अभियुक्त जौनपुर चला गया वहाँ से घटना के सम्बन्ध में टोह लेने हेतु बाराबंकी आया था, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी की गई है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

इंद्रेश मौर्या पुत्र दान बहादुर मौर्या निवासी ग्राम प्राणनाथपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर

बरामदगी-

1. हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद लोहे का रॉड
2. घटना में प्रयुक्त वैगनार कार संख्या UP 32 CC 8480
3. मृतका का पर्स (जिसमें मृतका का पहचान पत्र, 02 अदद एटीएम, फोटो व 3,505/-रुपये नकद)

पुलिस टीम-

थाना मसौली-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह थाना मसौली
2. व0उ0नि0 श्री शमशाद अली,
3. उ0नि0 श्री राजकरन
4. का0 अंकित सचान, का0 आकाश मौर्या
5. म0का0 सविता

स्वाट टीम-

1. निरीक्षक श्री ब्रजकिशोर सिंह प्रभारी स्वाट टीम
2. उ0नि0 श्री मिथिलेश चौहान
3. उ0नि0 श्री अजीज़ुल हसन
4. हे0का0 बलवन्त सिंह, हे0का0 अंगद गौड़
5. हे0का0 जितेन्द्र बहादुर सरोज, हे0का0 मुकेश यादव,
6. का0 प्रवीण शुक्ल, का0 जरनैल सिंह, का0 अभय कुमार,
7. का0 अंकित तोमर, का0 अभिषेक राजवंशी, का0 नितिन कुमार

सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 श्री अजय सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल
2. हे0का0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 जितेन्द्र वर्मा
3. हे0का0 मजहर अहमद, हे0का0 चन्द्रभान
4. हे0का0 पवन गौतम, का0 शैलेन्द्र कुमार
5. का0 अंकुर, का0 रवीन्द्र कुमार
6. म0का0 सुनिधि पाण्डेय, म0का0 स्वाति अवस्थी